

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बनाये गये DRC-13 App. के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक-बिक्री कर/आई.टी./विविध-12 / 2023-124, दिनांक-08.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में कार्य संवेदकों को भुगतान से पूर्व Web-cum-mobile App (DRC-13 App) के माध्यम से इस तथ्य का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कार्य संवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर लें तथा इस संबंध में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 700 (अ) 3

पटना/दिनांक- 22/1/24

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक-बिक्री-कर/आईटी/विबि-12/2023 पटना, दिनांक-08/11/24

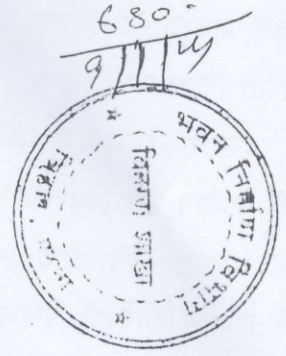
प्रेषक,

आमिर सुबहानी

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
लघु जल संसाधन विभाग,
योजना एवं विकास विभाग,
गृह विभाग,
स्वास्थ्य विभाग,
शिक्षा विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पथ निर्माण विभाग,
जल संसाधन विभाग,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।



निदेशक भद्र
12.1.24
अभियंता प्र.
भवन 680
12/1/24

DDO/2024/1000
15.1.24
16/1/24

विषय :- वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बनाये गये DRC-13 App. के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

Dme
126
15/1/24

विदित हो कि वाणिज्य-कर विभाग के राजस्व संग्रहण में कार्य संवेदकों द्वारा किये गये कर भुगतान का महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनेक कार्य संवेदकों द्वारा जीएसटी अधिनियम के तहत कर भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल नहीं की जा रही हैं, जबकि ऐसे कार्य संवेदकों द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा कार्य निष्पादित करते हुये भुगतान भी प्राप्त किया जा रहा है।

ध्यातव्य है कि जीएसटी प्रणाली में करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की स्थिति में ही राज्य को कर प्राप्त होने की व्यवस्था विहित है।

इस संदर्भ में पूर्व में दिनांक 09.12.2021 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में विभिन्न विभागों/बोर्ड/निगम से अनुरोध किया गया था कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह दिशा-निर्देश जारी करें कि कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व इस तथ्य का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कार्य संवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनेक DDOs द्वारा ऐसे कार्य संवेदकों को भी भुगतान कर दिया गया है जो Cancelled/suspended हैं। इस संबंध में महालेखाकार, बिहार द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गयी है।

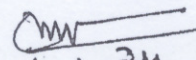
12/11/2019

ऐसे कार्य संवेदकों को भुगतान करने से सरकार को भुगतेय कर-राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस समस्या के निदान हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा एक Web-cum-mobile App (DRC-13 App) विकसित किया गया है।

उपरोक्त App के माध्यम से किसी कार्य संवेदकों को भुगतान करने के पूर्व GST अधिनियम के अंतर्गत उनके निबंधन एवं विवरणी दाखिला के अद्यतन स्थिति की सरलता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, यदि कार्य संवेदक के विरुद्ध GST अधिनियम के अंतर्गत सरकारी राजस्व की वसूली से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है, तो यह जानकारी भी App पर उपलब्ध है। इस प्रकार यह App कार्य विभागों के DDOs एवं संबंधित Tax Official के बीच एक संपर्क सूत्र स्थापित करने में सहायक होगा।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा की जाय कि कार्य संवेदकों को भुगतान से पूर्व इस App के माध्यम से उनके GST निबंधन/विवरणी दाखिला के अद्यतन स्थिति एवं जीएसटी के अंतर्गत उनके विरुद्ध बकाया वसूली की कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। इससे राज्य सरकार को ससमय राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी। वाणिज्य-कर विभाग द्वारा App के प्रयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यशाला आयोजित कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन,


4.1.24
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।